न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 2022 / 21 / नागौर

विभागीय अपील द्वारा श्री समयसिंह मीणा, पटवारी पटवार मण्डल बिदियाद, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल परबतसर, तहसील परबतसर जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के आदेश क्रमांक प–9(230 / 2020) / भू.अ. / वि.जा. / 2020 / 533 दिनांक 18.01.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री समयसिंह मीणा, पटवारी पटवार मण्डल बिदियाद, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल परबतसर, तहसील परबतसर जिला नागौर।

निर्णय

दिनांकः– 11.10.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर जिला नागौर के आदेश दिनांक 18.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक प–9( ) / भू.अ. / वि.जा. / 2020 / 2508 दिनांक 25.03.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. तहसीलदार परबतसर के पत्रांक 1851 दिनांक 04.09.2020 कों पटवार मण्डल बिदियाद का प्रभार अन्य पटवारी को दिये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया। परन्तु बार–बार मौखिक व दूरभाष पर निर्देशित करने व दो स्मरण पत्र दिये जाने के बाद भी आप द्वारा पटवार मण्डल बिदियाद का प्रभार अन्य पटवारी को सूपूर्द नही किया।
2. पटवार मण्डल बिदियाद के ग्राम देवगढ का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.11.2020 को दर्ज किया तथा दिनांक 28.12.2020 को उक्त नामान्तकरण भू0अ0 निरीक्षक के पास पेश किया। जबकी नियमानुसार नामान्तकरण 10 दिन के भीतर भू0अ0 निरीक्षक को पेश करना होता है। तत्पश्चात यह नामान्तकरण तहसीलदार परबतसर के समक्ष पेश किया।

जिस पर तहसीलदार परबतसर ने नामान्तरण परत पर नामान्तकरण देरी से प्रस्तुत करने का अंकन किया जाकर आप को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। परन्तु आपनक उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब नही दिया तथा मनमर्जी से अपना खाता केन्द्र पर जाकर नामान्तरण की दूसरी परत प्रिन्ट करवा कर पुनः अपनी टिप्पणी तथा भू0अ0 निरीक्षक की टिप्पणी करवा कर संबन्धित ग्राम पंचायत की टिप्पणी करवा ली गई। इस प्रकार नामान्तकरण दर्ज करने मे मनमानी तथा राजस्व अधिकारी के नियमानुसार दिये गये आदेशो की अवहेलना की है।

3. तहसीलदार परबतसर ने अवगत करवाया की आप द्वारा कस्बा परबतसर के सेग्रिगेशन कार्य की आड मे फर्जी जमाबन्दी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड के रूप मे प्रचलित नही है, को तैयार कर नकले जारी की जा रही है। उक्त प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कस्बा परबतसर के सेग्रिगेशन कार्य व तरमीम कार्य की जांच किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी परबतसर के मौखिक आदेशो की पालना मे तहसील कार्यालय परबतसर के आदेश क्रमांक 282 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा राजस्व कार्मिको की एक सात सदस्य टीम का गठन कर जांच के आदेश दिये गये। परन्तु आप द्वारा उक्त टीम को कस्बा परबतसर का राजस्व रेकार्ड ही उपलब्ध नही करवाया।
4. तहसीलदार फील्ड विजिट के दौरान आप कभी भी मुख्यालय पर नही मिले। मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार परबतसर ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया परन्तु आप द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्रांक भू.अ./वि.जा./2020/4258 दिनांक 22.07.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर एवं तहसीलदार परबतसर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच प्रतिवेदन तीन माह मे चाहा गया। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी परबतसर के क्रमांक स्थापना/2021/1131 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के उक्त दण्डादेश दिनांक 18.01.2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए एवं राजस्व रेकार्ड मे पाई गई कमिंयो के मध्यनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करते हुए परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार परबतसर के आदेश क्रमांक 1851 दिनांक 04.05.2021 के अन्य पटवारी को चार्ज हस्तान्तरित के आदेश होने से अन्य पटवारी मेरे पास चार्ज लेने हेतु उपस्थित नही हुआ। ग्राम देवगढ का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 23.11. 2020 को दर्ज करवाकर दिनांक 28.11.2020 को ही भू0अ0 निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु भूलवश भू0अ0 निरीक्षक के द्वारा दिनांक 28.12.2020 अंकित कर दी गई। अपीलार्थी ने आरोप संख्या तीन के संबंध मे निवेदन किया कि जब तक जमाबन्दी प्रभावित नही होती नकल जारी नही की जा सकती मेरे द्वारा ऐसी कोई भी नकल जारी नही की गई है। तत्कालीन तहसीलदार परबतसर द्वारा कभी भी मेरे पटवार मण्डल का फिल्ड विजिट नही किया गया। अन्त मे अपचारी कर्मचारी ने निवेदन किया कि भविष्य मे सभी कार्य समय पर किये जायेगें एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो की पालना की जायेगी। अतः जिला कलक्टर (भू. अ.) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्रांक भू.अ./वि.जा. /2020/4258 दिनांक 22.07.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर एवं तहसीलदार परबतसर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच प्रतिवेदन तीन माह मे चाहा गया। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी परबतसर के क्रमांक स्थापना/2021/1131 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे जांच अधिकारी द्वारा आरोपित पटवारी एवं तहसीलदार परबतसर को उक्त आरोप पत्र के संबंध मे साक्ष्य सबूत पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यो के आधार पर आरोप पत्र मे वर्णित श्री समयसिंह मीना पटवारी भदवा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का बिदियाद, परबतसर, किनसरिंया पर

चारो आरोप को सिद्ध नही माना है। जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर ने जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी परबतसर एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.01.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री समयसिंह मीणा, पटवारी पटवार मण्डल बिदियाद, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल परबतसर, तहसील परबतसर जिला नागौर के विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.01.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर